

<

क्र.	उधारकर्ताओं एवं सह-उधारकर्ता / जमानतदार के नाम	मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूतित आसित्यों का विवरण (अचल संपत्ति/या)
1	(लोन कोड नं. 02810000658/ सहारनपुर शाखा) अंकित (ऋणी) काजल रानी (सह-ऋणी)	03-08-2026 & ₹ 5,26,656/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, मकान क्षेत्रफल 72.46 वर्ग मीटर, ग्राम सलारपुर, परगना एवं तहसील मुक्तड़, जिला सहारनपुर, चतुर्सीमार्ग: पूर्व: 26 फीट पश्चात् रास्ता 6 मीटर से छोटा, पश्चिम: 26 फीट पश्चात् लोकेश का मकान, उत्तर: 30 फीट पश्चात् लोकेश का मकान, दक्षिण: 30 फीट पश्चात् 6 मीटर से छोटा रास्ता
2	(लोन कोड नं. 15600000591/ कोसी कलां शाखा) मनोज कुमार (ऋणी) लक्ष्मी देवी (सह-ऋणी) नरेश कुमार (जमानतदार)	06-08-2026 & ₹ 4,०7,337/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, मकान, नगर निगम नं. 51/339, आबादी मौजा अब्दुलनबीपुर (पुराने भट्टे के पास) (संपत्ति क्षेत्रफल 72.46 वर्ग मीटर), तहसील मंत मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281006, चतुर्सीमार्ग: पूर्व: विक्रेता की संपत्ति, पश्चिम: लीलाधर की संपत्ति, उत्तर: सुरेन्द्र सिंह की संपत्ति, दक्षिण: 12 फीट चौड़ा रास्ता
3	(लोन कोड नं. 06900000955/ नोएडा शाखा) देवेन्द्र कुमार (ऋणी) पंकी देवेन्द्र (सह-ऋणी) राजेश कुमार वर्मा (जमानतदार)	06-08-2026 & ₹ 8,००,०67/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, प्लेट क्षेत्रफल 45.98 वर् मीटर स्थित प्लेट नं. 4०6, चौथी मंजिल, टॉवर नं. बी-3, सुपर एरिया, उमैद गार्डन, राधिका होम्स, शाहबेरी, परगना तहसील दादरी एवं जिला गौतम बुद्ध नगर चतुर्सीमार्ग: पूर्व: ब्लॉक ए, पश्चिम: प्लेट नं. 4०7, उत्तर: प्रवेश, दक्षिण: अन्य संपत्ति
4	(लोन कोड नं. 01400001978/ आगरा शाखा) लक्ष्मी (ऋणी) अनील (सह-ऋणी) सोनू (जमानतदार)	06-08-2026 & ₹ 3,8०,777/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, प्लॉट नं. 44 पर मकान (खसरा नं. 220), राजीव गार्डन, ग्राम नैनाना ब्राह्मण (संपत्ति क्षेत्रफल 93.53 वर्ग मीटर), आगरा, उत्तर प्रदेश - 282009, चतुर्सीमार्ग: पूर्व: प्लॉट नं. 43, पश्चिम: प्लॉट नं. 45, उत्तर: रास्ता 25 फीट चौड़ा, दक्षिण: अन्य की भूमि
5	(लोन कोड नं. 059000001148/ मथुरा शाखा) स्व. राज कुमार (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व) (ऋणी) अनीता सोनी (सह-ऋणी)	06-08-2026 & ₹ 1,36,160/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, एमपीएल नं. 508 पर मकान, वार्ड नं. 21, कृष्णा कॉलोनी, मौजा होसल पट्टी तिहाव (संपत्ति क्षेत्रफल 46 वर्गमीटर), होडल, फरीदाबाद, हरियाणा - 1211०6, चतुर्सीमार्ग: पूर्व: प्रहलाद थानेशर का मकान, पश्चिम: नरवीर का मकान, उत्तर: जिले सोरोत का खेत, दक्षिण: 15 फीट चौड़ा रास्ता
6	(लोन कोड नं. 05210000021/ अलीगढ़ शाखा) ममता कुमारी (ऋणी) स्व. देवराज सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व) (सह-ऋणी)	06-08-2026 & ₹ 5,18,134/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, संपत्ति खसरा नं. 138 का भाग, नाला मान सिंह, मौजा भंभीरपुरा (संपत्ति क्षेत्रफल 4.18 वर्ग मीटर), शिव मंदिर के पास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 2०2001, चतुर्सीमार्ग: पूर्व: जुनेन्द्र का प्लॉट, पश्चिम: राकेश का मकान, उत्तर: 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: मनोज का प्लॉट
7	(लोन कोड नं. 09200000857/ हापुड शाखा) मोहम्मद फिरोज (ऋणी) शमीम (सह-ऋणी)	1०-08-2026 & ₹ 6,०5,271/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, रहवासी प्लॉट क्षेत्रफल 60 वर्ग यार्ड, नयागांव, परगना बारन, तहसील व जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, चतुर्सीमार्ग: पूर्व: रोड 8- 1/2 फीट चौड़ी, पश्चिम: हबीब का प्लॉट, उत्तर: अकबरी का प्लॉट, दक्षिण: शाहीद खां का प्लॉट
8	(लोन कोड नं. 15610000196/ कोसी कलां शाखा) हरिंझान (ऋणी) सावित्री पति बच्चूसिंह (सह-ऋणी)	1०-08-2026 & ₹ 7,84,547/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, संपत्ति नं. 262/1, मौजा गांधी नगर, बाजना, वार्ड नं. 2 (संपत्ति क्षेत्रफल 23.22 वर्ग मीटर), कर्साबाजाना मंत, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281201
9	(लोन कोड नं. 45210000072/ बुलंदशहर शाखा) राजेश कुमार (ऋणी) मीना देवी (सह-ऋणी)	10-08-2026 & ₹ 5,42,772/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, रहवासी प्लॉट क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर, ग्राम अरनिया मनसूरपुर, परगना खुर्जा, तहसील व जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश चतुर्सीमार्ग: पूर्व: विक्रेता की शेष संपत्ति, भुजा 39 फीट 3 इंच, पश्चिम: कच्छा रास्ता, भुजा 39 फीट 3 इंच, उत्तर: जसवंत सिंह का प्लॉट, भुजा 45 फीट 10 इंच, दक्षिण: प्रथम पक्ष की शेष संपत्ति, भुजा 45 फीट 1० इंच
10	(लोन कोड नं. 005100001041/ मेरठ शाखा) शमशेर (ऋणी) हजारा (सह-ऋणी)	1०-08-2026 & ₹ 5,०4,278/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, प्लॉट क्षेत्रफल 86 वर्ग मीटर, मध्य खसरा नं. 743, ग्राम टीकरी, परगना, तहसील व जिला मेरठ, चतुर्सीमार्ग: पूर्व: 15'1''/अन्य की संपत्ति, पश्चिम: 15'1''/ रास्ता 6 फीट चौड़ा, उत्तर: 6'1'4.5''/ राजू जादव का प्लॉट, दक्षिण: 6'1'4.5''/ शमशेर का प्लॉट
11	(लोन कोड नं. 09210000818/ हापुड शाखा) साजिद शतिश शकिल अहमद (ऋणी) फरहाना पति साजिज (सह-ऋणी)	10-08-2026 & ₹ 7,39,82०/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, खसरा नं. 456 पर मकान, क्षेत्रफल 100 वर्ग यार्ड, ग्राम किटोर, परगना किटोर, तहसील मजाना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश चतुर्सीमार्ग: पूर्व: मुन्नाका का प्लॉट, पश्चिम: विक्रेता की शेष संपत्ति, उत्तर: विक्रेता की शेष संपत्ति, दक्षिण: 12 फीट चौड़ा रास्ता
12	(लोन कोड नं. 01410000921/ आगरा शाखा) स्व. मुकेश रावल (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व) (ऋणी) नेमबती एवं मोनटी (सह-ऋणी)	1०-08-2026 & ₹ 3,65,167/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, नगर निगम नं. 217बी पर मकान, मोहल्ला पेशेवर गेट (संपत्ति क्षेत्रफल 91.69 वर्ग मीटर), फिरोजाबाद, उ.प्र. 832303 चतुर्सीमार्ग: पूर्व: 6 फीट रोड एवं खंड 'ए' का मकान एवं भूरी सिंह का मकान, पश्चिम: खंड 'बी'ए' का मकान, रंतोष कुमार का मकान एवं कालीचरण का मकान, उत्तर: मातासादव का मकान एवं खंड 'बी'ए' का मकान, दक्षिण: भूरी सिंह का मकान, खंड 'एसए' का मकान एवं पप्पू का प्लॉट
13	(लोन कोड नं. 45110000081/ शामली शाखा) नवीन (ऋणी) मोहम्मद कोशर (सह-ऋणी)	1०-08-2026 & ₹ 5,38,896/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, प्लॉट क्षेत्रफल 164.35 वर्ग मीटर गांव कैराना, बाह हट्ट, मकान नं. ०1, परगना एवं तहसील कैराना, जिला शामली, चतुर्सीमार्ग: पूर्व: 37.33 फीट / फीट का प्लॉट, पश्चिम: 37.33 फीट / रास्ता, उत्तर: 47.17 फीट / मुस्तकीम का प्लॉट, दक्षिण: 47.17 फीट / सन्ना का प्लॉट
14	(लोन कोड नं. 05910000909/ मथुरा शाखा) रणधीर सिंह यादव (ऋणी) उषा यादव (सह-ऋणी)	1०-08-2026 & ₹ 7,93,4०0/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, घरौनी माला नं. 1०1 एवं प्लॉट नं. 58 के भाग मात्र पर मकान, बड़ नगला उठवरिया (संपत्ति क्षेत्रफल 159.71 वर्गमीटर), हाथरस, उत्तर प्रदेश- 2०41०1 चतुर्सीमार्ग: पूर्व: माणिक चंद्र का मकान, पश्चिम: 6 मीटर चौड़ा रास्ता, उत्तर: चांगुनू मंदिर, दक्षिण: पंचायत घर
15	(लोन कोड नं. 45210000237/ बुलंदशहर शाखा) आकाश (ऋणी) बादल (सह-ऋणी)	1०-08-2026 & ₹ 8,11,873/-	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, रहवासी प्लॉट क्षेत्रफल 54.55 वर्ग यार्ड, गांव मोखेड़ा, मोहल्ला बीसा कॉलोनी, परगना बारैन, तहसील व जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश चतुर्सीमार्ग: पूर्व: राजकुमार का मकान, 13 फीट 10 इंच भुजा, पश्चिम: 12 फीट रास्ता एवं 3.65 मीटर चौड़ा, भुजा 13 फीट 1० इंच, उत्तर: श्रीमती सुरेश देवी का मकान, 35 फीट 6 इंच की भुजा, दक्षिण: राजकुमार का मकान, भुजा 35 फीट 6 इंच

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पुर्ण जमानत मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, बिक्रया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्राधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत्त जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिया जाने के स्थान होगा।

स्थान: उत्तरप्रदेश	सही/ - प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : ०9-09-2026	वास्ते – आधार हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड

आवास फाइनेसियर्स लिमिटेड			
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 2०1-2०2, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इन्स्टीटयल एरिया, जयपुर- 3०2020			
सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 20०2 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना पर			
कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाला एवं पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार " वित्तीय आँखियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 20०2 " की धारा 1३(2) के अंतर्गत मांग सूचना/ गारंटर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं करते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमांड नोटिस को मामूली न होने के कारण नोटिस को छत्रावधि बंधक सम्पत्ति पर चलायी जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अंदर-अंदर निम्न तालिका के अनुसार ऋण तथा पश्चिमावधि का ब्याज, वसूली नहीं होने वाला बकाया जमा करने के अनायास एक्ट की धारा 1३(4) एवं 14 के प्राधान्यों के अंतर्गत निम्न सूचि के अनुसार सांयिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।			
ऋणी का नाम	मांग सूचना की दिनांक व तारी	बंधक सम्पत्ति का विवरण	
दीपक डी., योगेश वाई, अनुराधा कौशिक खाता नं. 191202901121073	05 सितम्बर 2०26 ₹ 1470714/- 04 सितम्बर 2०26	तीसरी मंजिल का हिस्सा (पिछला हिस्सा), खसरा नं. 4०9/2 पर, विस्तारित लाल डोंग, गांव बुराड़ी, दिल्ली 11०084 क्षेत्रफल 1००.० वर्ग गज	
जुगल सिंह, योगेश वाई, अनुराधा कौशिक खाता नं. 191202901121413	05 सितम्बर 2०26 ₹ 1921958/- 04 सितम्बर 2०26	तीसरी मंजिल (सामने का हिस्सा), खसरा नं. 4०9/2 पर, विस्तारित लाल डोंग, गांव बुराड़ी, दिल्ली 11०084 क्षेत्रफल 1००.० वर्ग गज	
अमर सिंह चौहान, उपासना देवी, मनीष सिंह, सचिन जमानतदार - दीपक दीपक खाता नं. 161202900456588	05 सितम्बर 2०26 ₹ 873017/- 04 सितम्बर 2०26	प्लेट नं. जीएफ 1, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. बी 4/5, डीएलएफ अंकर विहार, गांव लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. क्षेत्रफल 350 वर्ग फीट	
परमजीत सिंह, परमजीत कौर खाता नं. 251202905541०73	05 सितम्बर 2026 ₹ 4716364/- 04 सितम्बर 2०26	सम्पत्ति नं. सी-57, पहली मंजिल (बिना छत अधिकार के), खसरा नं. 17/3, गाँव- अंसलापूर खोदर, जिला पार्क कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली (भारत) - 11०059 -7 क्षेत्रफल 150 वर्ग गज	
स्थान : दिल्ली	दिनांक ०9.०9.2०26	प्राधिकृत अधिकारी आधार फाइनॅसियर्स लिमिटेड	

earc एनकॉर एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकॉर एआरसी)			
पांचवीं मंजिल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर-44, गुडगांव-122 0०2, हरियाणा			
ई-नीलामी विब्री सूचना			
वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्गत तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 20०2 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 20०2 (नियम) के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के अधीन अचल सम्पत्तियों को सूचना के लिए ई-नीलामी विब्री सूचना।			
एतद्वारा आम तौर पर जनसाधारण तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर(ी) को सूचना दी जाती है कि ईआरसी-ईओटी-001-ट्रस्ट ("प्रत्याभूत ऋणदाता") के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कांटेरल एनकॉर एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को सुपुर्द ऋण खाला में बकाया रकम को सुरक्षित रखने के लिए यहां नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के पास गिरवी पर रखी गई है/परमिर्त की गई थी, जो प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी (एओ) के प्रतीकात्मक कब्जे में है, जिसे कर्जदार श्री रवि कुमार एवं सुश्री साक्षी साक्षी (जिन्हें बंधा वहां में सह-कर्जदार/गारंटर कहा गया) से प्रत्याभूत ऋणदाता के प्रति बकाया रकम दिनांक ०7.09.2०26 की स्थिति के अनुसार ₹ 2०,91,112/- (रुपये बीस लाख इक्कावने हजार एक सौ बारह मात्र) के साथ वसूली/प्राप्त रकम के समायोजन के उपरांत वसूली तक अनुबंधकीय पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों, शुल्कों व सेवादि की वसूली के लिए दिनांक 15.1०.2०26 को "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है", तथा "वहां जो कुछ है" के आधार पर विक्री की जाएगी।			
सम्पत्ति का विवरण, प्रत्याभूत सम्पत्ति के लिए आश्रित मूल्य (आरपी) एवं बयाना राशि जमा (ईएमपी) निम्नानुसार है:			
अचल प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण	आश्रित मूल्य (₹.)	ईएमपी (₹.)	
राज नगर एक्सटेंशन, जिला गाजियाबाद, उ. प्र. 2०1०17 में स्थित "क्लासिक होम्स" नामक परियोजना में टावर बी, ब्लॉक-सी की आठवीं मंजिल पर टाइप 2 बीएके अपार्टमेंट सं. सी-805, जिसका सुपर एरिया 670 वर्ग फुट तथा कार्पेटेड एरिया ३4.44 वर्ग मीटर (342.62 वर्ग फुट) है, जिसका क्षेत्रफल 670 वर्ग फुट, का सम्पूर्ण एवं सार्वजनिक हिस्सा।	21,००,00०/-	2,1०,00०/-	
ई-नीलामी की तारीख को अगर सार्वजनिक छुट्टी का दिन घोषित होने पर संबंधित तारीख स्वतः ही अगले कार्यकारी दिवस को विस्तारित हो जाएगी।			
विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट पर प्रदत्त लिंक यानी http://www.encorearc.com/ देखें। किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/जमानतों के लिए इच्छुक पार्टियां प्रत्याभूत ऋणदाता से मोबाइल नं. 9218०16249 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा krishna.kumar@encorearc.com पर ईमेल करें।			
तारीख: ०8.०9.2०२6	हस्ता/ - कृष्ण कुमार (अधिकृत अधिकारी)		
स्थान: गुरुग्राम	एनकॉर एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. ईआरसी-ईओटी-001-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत		

केनरा बैंक Canara Bank		शाखा कार्यालय - नई अनाज मंडी के सामने, इंद्री चौक के पास, लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा - 136132	
सिंडिकेट Syndicate			
मांग सूचना			
वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस			
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीचे दिए गए उधारकर्ता/गारंटर के सौ ही गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज को चुकाने में भूक कर गए हैं और वे सुविधाएं 28.08.2026 तक नौन-परसोपॉसिबल एक्सेस (न्यूनी) बन् गई हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस उधारकर्ता/गारंटर को उनके आश्रित धातु पत्र पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेजे गए थे। हालांकि, नोटिस बिना डिलीवर हुए वापस आ गए हैं और अविशुद्ध अधिकारी को यह मानने का कारण है कि उधारकर्ता/गारंटर नोटिस लेने से बच रहे हैं, इसलिए उन्हें इसके जरिए सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।			
उधारकर्ता/गारंटर का नाम	संपत्तियों का विवरण/सुविधाएं संपत्तियों का पता तथा कारवाई की जाती है	नोटिस की तारीख	एजीएम की तारीख
		वकाला ट्रांज़ि (नोटिस की तारीख तक)	
(1)श्री सुनाप चंद चौधरी, पुत्र ज्ञान चंद (उधारकर्ता),फ्लैट नंबर 67, केवल कुंज अपार्टमेंट्स,सेक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली – 11००85, साथ बी-1907, तीसरी मंजिल, ब्लॉक बी, ओमेश्वर सिटी, सेक्टर 18, सोनीनगर, हरियाणा – 131००1, साथ बी-43 राजीव एक्स्प्रेस, फॉकैट 13, सेक्टर 5, रोहिणी, दिल्ली – 11००85	अनुपुत्री-“ए”- (उधारकर्ता) द्वारा सी गाँव क्रोडि सुविधा/सुविधाओं का विवरण:- क्रम संख्या: 1; ऋण सं: 161००४३८८९१; नाम: श्री सुनाप चंद चौधरी (पिता: ज्ञान चंद) और श्रीमती शीतल चौधरी (पत्नी: सुनाप चंद चौधरी); ऋण का प्रकार: वाहन ऋण; मंजूरी की तारीख: 2८.०८.२०२५; राशि: ₹. ५०,००,०००/- अनुपुत्री-“बी”-(पुष्पलित सादुवी का विवरण)- क्रम संख्या: 1; चल संपत्ति: नैक: स्कोडा ऑटो वेल्सलेगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; मॉडल: AUDI Q5 45 TFSI Q TECH; रजिस्ट्रेशन नंबर: HR1०AX691०; रजिस्ट्रेशन की तारीख: ०४.०९.२०२५; रंग: स्लेथियर क्वाट्र एफ़; चेसिस नंबर: WAUZKRFY2RY7०१११९/ ईजन नंबर: DPU०३४५२३३; ईंधन का प्रकार: पेट्रोल। मालिकाना हक रखने वाले का नाम- श्रीमती शीतल चौधरी (पत्नी: सुनाप चंद चौधरी)।	29.08.2026	28.08.2026
अनुपुत्री-“सी”- (द्वस तारीख तक देनवारी का विवरण)- क्रम संख्या: 1; ऋण सं: 161००४३८८९१; ऋण का प्रकार: वाहन ऋण ; इस तारीख तक देनवारी: ₹. 46,४६,८६६.३८; ब्याज दर + पेनल्टी चार्ज: ०7.६०% + 2.००%।			
19०7, तीसरी मंजिल, ब्लॉक बी, ओमेश्वर सिटी, सेक्टर 18, सोनीनगर, हरियाणा-131००1, साथ बी- 4३ राजीव एक्स्प्रेस, फॉकैट 13, सेक्टर 5, रोहिणी, दिल्ली – 11००८५,			
ऊपर बताए गए उधारकर्ता/गारंटर को संलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से ६० दिनों के भीतर नोटिस में बताई गई राशि का मुआवज करें। ऐसा न करने पर, हम वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 1३(६) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे।			
अनुप्रेम अनावा, उधारकर्ता/गारंटर को हमारी पूर्व सहमति के बिना ऊपर बताई गई सुविधाएं संपत्तियों (सिखोइंड एसेटर) के साथ किसी भी तरह का लेन-देन नहीं से रोकना जाता है। वे अधिकार प्राप्त एक्टर और/या ए लागु, किसी भी प्रकार के उदाहरण में किसी भी अन्य अधिकार प्राप्त अरर करते बिना हैं। सुविधा संपत्तियों को छुड़ाने (रिडिम) करने के लिए उधारकर्ता समक्ष के संबंध में आएका ब्याज सरकेसी एक्टर की धारा 1३ की उप-धारा (६) के प्रावधानों की ओर दिखाना जाता है। आपको हमें सूचित किया जाता है कि धारा 1३(५) के अनुसार, उधारकर्ता/गारंटर सुविधा लेनदार (सिखोइंड क्रोडिटर) की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना नौए अनुपुत्री भी में बताई गई सुविधा संपत्तियों को कोई भी तरह (लीज) की किसी अन्य सरकेसी से हस्तांतरित कर सकते हैं। आपको यह सूचित किया जाता है कि उपर उद्धृत तहत दिए गए नई कानूनी अवस्था/रोक का कोई भी उल्लंघन एक अपराध है और यदि किसी कारण से, सामान्य व्यावसायिक क्रमकारण के दौरान सुविधा संपत्तियों को बेचा या पड़े पर दिया जाता है, तो किसी से प्राप्त राशि या आय सुविधा लेनदार के पास जमा की जाएगी। इस संबंध में आपको ऐसी प्राप्ति/आय का उचित हितव-विनाश देना होगा।			
दिनांक : ०८.०९.2०2६		स्थान: लाडवा (जिला कुरुक्षेत्र)	
		अभिप्रेत अधिकारी	

ऊपर बताए गए उधारकर्ता/गारंटर को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 6० दिनों के भीतर नोटिस में बताई गई राशि का भुगतान करें। ऐसा न करने पर, हम "वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2००2" की धारा 1३(२) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का हस्तगत करने होंगे।

इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता/ गारंटर को हमारी पूर्व सहमति के बिना बाहर बर्नाई गई सुविधाएं (सिस्कोवै एक्सेस) के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने से रोकना जाता है। यह अधिकार प्राप्त एक्ट और/ या लागू किसी अन्य कानून के तहत हमें मिले किसी भी अन्य अधिकार पर अलग खड़े विन है। सुविधा संपत्तियों को छुड़ाने (रिडीम) करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आपका ध्यान सरकेसी एक्ट की धारा 13 की धारा 13(२) के प्राधान्यों के अंतर्गत दिए गए बिना नीचे आयाको बी में बताई गई सुविधाएं संपत्तियों को विक्री, पड़े (लीज) या किसी अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करेंगे। आपको यह भी बताना जाता है कि उस एक्ट के तहत दिए गए इस कानूनी अधिन/रोक का कोई भी उल्लंघन एक अपराध है और यदि किसी कानून से, सामान्य व्यावसायिक कामकाज के दौरान सुविधा संपत्तियों को बेचा या पड़े पर दिया जाता है, तो विक्री से प्राप्त राशि या अन्य सुविधाित देनवार के पास जमा की जाएगी। इस संबंध